बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

अधिसूचना

पटना, दिनांक............................/

संचिका संख्या अ0नि0 (01) 02/2024 स्था0............../सहायक अभियोजन पदाधिकारी, प्रतियोगिता परीक्षा, विज्ञापन संख्या–01/2020 के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 8/वि0प्र0–02–01/2015 (77) लो0से0आ0/गो0 दिनांक 05.01.2024 द्वारा अनुशसित अभ्यर्थी **श्री मुन्शाद, मेघा क्रमांक–70, अनुक्रमांक 100158, कोटि–सामान्य, जन्म तिथि–11.04.1987, पिता–श्री जीशान अली के पत्राचार का पता– वी0पी0ओ0 गरही बेसिक, जिला–पानीपत (हरियाणा), पिन–132103** को बिहार अभियोजन सेवा के मूल कोटि सहायक अभियोजन पदाधिकारी के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर–9 एवं समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ पदभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हुए जिला अभियोजन कार्यालय, जहानाबाद में पदस्थापित किया जाता है।

2 इनकी सेवा बिहार अभियोजन हस्तक, 2003 के अधीन होगी।

3. बिहार अभियोजन हस्तक, 2003 के नियम–50 से 57 के अनुसार इनके बुनियादी/व्यवहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

4. यह नियुक्ति श्री मुन्शाद द्वारा समर्पित शपथ–पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

5. यह नियुक्ति श्री मुन्शाद द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्र/अभिलेखों के सम्बन्ध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

6. श्री मुन्शाद की नियुक्ति राज्य में दिनांक 01.09.2005 से लागू नयी अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होगा।

7. श्री मुन्शाद अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर जिला अभियोजन कार्यालय, जहानाबाद में योगदान समर्पित करेंगे।

8. श्री मुन्शाद को अपने आवंटित कार्यालय में योगदान समर्पित करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. पूर्व से नियोजित रहने की स्थिति में विरमण आदेश/त्यागपत्र स्वीकृति आदेश समर्पित नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(सुधांशु कुमार चौबे)
विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांकः अ0नि0 (01) 02/2024/स्था0............../ दिनांक................................./

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (सी0 डी0 सहित) प्रेषित।

ह0/–

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांकः अ0नि0 (01) 02/2024 स्था0.............../ दिनांक................................../

प्रतिलिपि– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक–सह–निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, पटना/प्रशाखा–5, गृह(आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया जी/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद/कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद)/अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारियों/पटल प्रभारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांकः अ0नि0 (01) 02 / 2024 स्था0................/ दिनांक......................................./

प्रतिलिपि– जिला अभियोजन पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि श्री मुन्शाद के योगदान के उपरान्त उनका प्रभार प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को प्राप्त कराना सुनिश्चित किया जाय।

ह0/–

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांकः अ0नि0 (01) 02 / 2024 स्था0................/ दिनांक......................................./

प्रतिलिपि– श्री मुन्शाद, मेघा क्रमांक–70, अनुक्रमांक 100158, कोटि–सामान्य, जन्म तिथि–11.04.1987, पिता–श्री जीशान अली के पत्राचार का पता– वी0पी0ओ0 गरही बेसिक, जिला–पानीपत (हरियाणा), पिन–132103 को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेश है कि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपना योगदान जिला अभियोजन कार्यालय, जहानाबाद में निश्चित रूप से दे दें एवं योगदान प्रतिवेदन की एक–एक प्रति गृह विभाग, बिहार, पटना एवं अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को भी प्राप्त करावें।

ह0/–

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांकः अ0नि0 (01) 02 / 2024 / स्था0 1807 / दिनांक 22.08.25 /

प्रतिलिपि– ✓आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22/8/25

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।